न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 22/2022
GCMS NO. : 2022/29

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. अर्जुनराम पुत्र बुधाराम जाति बावरी निवासी रामवास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।		1. भागुराम पुत्र मंगलाराम 2. बबली पत्नी भागुराम जाति मेघवाल निवासी डिगरना 3. अभिषेक पुत्र धर्माराम 4. पूजा पुत्री धर्माराम 5. मुन्नी देवी पत्नी धर्माराम 6. महेन्द्र पुत्र धर्माराम 7. सुखाराम पुत्र मांगू जाति मेघवाल निवासी लाम्बिया 8. अमराराम पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी कांवलिया खुर्द 9. बाबू पुत्र मांगू जाति ढोली निवासी लाम्बिया 10. सोहनी पत्नी लाबुराम जाति मेघवाल निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण। 11. तहसीलदार जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 14/02/2022

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री नितेश चौहान, श्री सोहनलाल जोशी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1456/660 रकबा 0.8093 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवाड़ा हो रखा है प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इसी प्रकार सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1457/660 रकबा 0.8094 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1458/660 रकबा 0.8094 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 7 की कृषि भूमि खसरा संख्या 660/4 रकबा 2.2662 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 663 रकबा 1.5945 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 660/2 रकबा 0.7122 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 10 की कृषि खसरा संख्या 660/7 रकबा 0.3723 हैक्टर की कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:49 IST
Reason: SelfAttested

पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि आई हुई है। उपरोक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमिया जो प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ स्थिति है। नकल जमाबंदी अप्रार्थीगण की कृषि भूमियो की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी के अकेले की कृषि भूमि है और मौके पर प्रार्थी की कब्जा काश्त है प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। जिसके चारो तरफ मांठे कायम है। परन्तु अप्रार्थीगण जिनकी की कृषि भूमियां प्रार्थी से अलग है और उनकी भूमिया भी अलग से मौके पर बंटी हुई है मांठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थी की जमीन की मौके पर मांठे तोइकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण जो कि संख्या में अधिक होने से प्रार्थी को बेवजह हैरान परेशान करते है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीने अलग अलग बंटी हुई है मौके पर मांठे कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करते है और बार बार कभी खन्दक को बिखेर देते है कभी तारबंदी हटा देते है व कभी मांठ हटा देते है इस प्रकार बिना किसी अधिकार कें प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करते है और सीमा को लेकर विवाद करते है इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान कराने का विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी अपने आराजी में काश्त करने लगा तो अप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए भी रजाबंद नही हो रहे है और प्रार्थी के हिस्से की जमीन में हक जताना शुरू कर दिया और दिनांक 28.11.2021 को प्रार्थी के खेत के चारो तरफ लगी मांठो को भी बिखेर दिया और विवाद करने लगे जबकि प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाझ नही आ रहे है और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण गैरकानूनी तरीके से विधिविरूद्ध रूप से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहे है और प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ कायम मांठ को बिखेर कर अपना हक जता रहे है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीनो के बीच में लम्बे समय से माठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जो कि संख्या में ज्यादा होने से प्रार्थी की जमीन को सीमा विवाद करके जमीन हड़पना चाहते है। अप्रार्थीगण की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून हाथ में लेकर गैरकानूनी कृत्य करते हुए सीमा विवाद खड़ा कर दिया इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद करने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थीगण स्पष्ट इंकार कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 08.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार जैतारण को अपनी भूमि का नाप चौप कर सीमाज्ञान करने का आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 11 ने यह कहते हुए आग्रह ठुकरा दिया कि मौके पर विवाद है इसलिए वह सीमाज्ञान नही कर सकते है तब प्रार्थी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

ह प्रार्थना पत्र अंदर म्याद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की राजी सरहद मौजा लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष निर्धारित शुल्क पर सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 4 तथा 7 से 9 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 5, 6 तथा 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 को अनेकानेक अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया में अप्रार्थीया सोहनी पत्नी स्व. लाबूराम कौम मेघवाल की भूमि खसरा संख्या 660/7 में कृषि भूमि मय कुआं स्थित है। मूल रकबा भू प्रबन्ध रकबा 96.01 बीघा के स्थान पर 110.13 बीघा भूमि मे से, भूमि का आंवटन सन् 1970 में DILRMP राज्य योजना के तहत अप्रार्थीया के स्व. पति लाबूराम को 15 बीघा कृषि भूमि का आंवटन तत्कालीन राजस्व अधिकारियो द्वारा किया गया जिसका इन्द्राज 1970 से 2020 तक दर्ज है। अप्रार्थीया पर प्रार्थी द्वारा बिंदु संख्या 4 में निराधार आरोप लगाये। प्रार्थी द्वारा निर्मित मांठ व सीमाज्ञान के लिए अप्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नही किया गया तथा न कभी खन्दक एवं निर्मित मांठ को क्षतिग्रस्त किया गया एवं न कभी हटाने के लिए विवाद किया गया। अप्रार्थीया एक विधवा एवं वृद्धा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को अकारण ही जानबूझकर न्यायालय में घसीटा जा रहा है जिससे अप्रार्थीया को मानसिक आघात पहुंचा है। अप्रार्थीया अपनी रोजी रोटी देने वाली भूमि को बेचकर अन्यत्र चली जाये। ऐसी कुछ भू माफिया की मंशा जाहिर होती है तो अप्रार्थीया उनके मंसुवे को कभी भी पूरा नही होनें देगी। मिथ्या आरोपो की श्रीमान जांच करावे तथा अप्रार्थीया को न्याय दिलवावे एवं अप्रार्थीया को उचित अनुतोष जो न्यायालय से मुझे दिलावे।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बिया तहसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1456/660 रकबा 0.8093 हैक्टर किस्म बारानी दोयम स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1457/660 रकबा 0.8094 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1455/660 रकबा 0.8094 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 7 की कृषि भूमि खसरा संख्या 660/4 रकबा 2.2662 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 663 रकबा 1.5945 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 660/2 रकबा 0.7122 हैक्टर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:43:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थी संख्या 10 की कृषि खसरा संख्या 660/7 रकबा 0.3723 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए भी तैयार नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1456/660 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात् के मध्य मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिए पुलिस इमदाद करवायी जाये।

2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा 7 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 10 सोहनी देवी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाम्बिया में अप्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 660/7 मय कुआं स्थित है। जो अप्रार्थीया के स्व. पति लाबुराम को 15 बीघा कृषि भूमि का आंवटन तत्कालीन राजस्व अधिकारियो द्वारा किया गया था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया के विरूद्ध मौके पर विवाद करने से संबंधित लगाये गये आरोप अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को अकारण ही न्यायालय में घसीटा जा रहा है, आदि।

4. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2077 ग्राम लाम्बिया के अनुसार खसरा संख्या 1456/660 रकबा 0.8093 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार अर्जुनराम पुत्र बुदाराम, खसरा संख्या 1457/660 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार भागुराम पुत्र मंगलाराम, खसरा संख्या 1455/660 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार बबली पत्नी भागुराम, खसरा संख्या 660/4 रकबा 2.2662 हैक्टर किस्म बारानी दोयम सहखातेदार अभिषेक, पुजा, मुन्नी देवी, महेन्द्र व सुखाराम, खसरा संख्या 663 रकबा 1.5945 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार अमराराम पुत्र भूराराम, खसरा संख्या 660/2 रकबा 0.7122 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खातेदार बाबु पुत्र मांगु एवं खसरा संख्या 660/7 रकबा 0.3723 किस्म बारानी दोयम खातेदार सोहनी पत्नी लाबूराम के नाम दर्ज है तथा भू नक्शा में सभी खसरे पृथक पृथक तरमीमशुदा है।

5. चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का समाधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है ताकि पक्षकारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1456/660 एवं इससे लगती अन्य खातेदारान् अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1457/660, 1455/660, 660/4, 663, 660/2, 660/7 की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर र्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया ाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम- लाम्बिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1456/660 रकबा 0.8093 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1457/660 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1455/660 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 660/4 रकबा 2.2662 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 663 रकबा 1.5945 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 660/2 रकबा 0.7122 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 660/7 रकबा 0.3723 किस्म बारानी दोयम के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौकें पर नाप चौप कर सीमाज्ञानं कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से मानसून आगमन से पूर्व अर्थात 30 जून 2022 से पूर्व संपादित करवा दी जावे। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला-पाली)
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:49 IST
Reason: SelfAttested